भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4383

जिसका उत्तर 19.03.2026 को दिया जाना है

विद्युत राजमार्ग

4383. श्री विजय कुमार दूबे:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री तेजस्वी सूर्या:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च 2026 तक 25 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लक्ष्य को प्राप्त करने और 14000 इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती के संबंध में पीएम ई ड्राइव योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) दिल्ली-जयपुर और मुंबई-पुणे खंडों पर विद्युत राजमार्गों (ई-राजमार्गों) की स्थापना के लिए क्या रूपरेखा निर्धारित की गई है और उपरिगामी कैटेनरी प्रणाली परीक्षणों की स्थिति क्या है; और

(ग) वर्ष 2026 के प्रारंभ तक कुल कितनी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधाएं (आरवीएसएफ) प्रचालित की गई हैं और पंद्रह वर्ष पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को नए मॉडल में बदलने के लिए नागरिकों को क्या-क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) 15.03.2026 तक प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट्रिक रिवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट (पीएम ई-ड्राइव) योजना के तहत 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू) की बिक्री के लक्ष्य की तुलना कुल 20.48 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन (ई-2डब्ल्यू) की बिक्री की गई है, जो अब तक प्राप्त लक्ष्य का 83% है।

इसके अलावा, मार्च, 2026 तक 14,000 से अधिक ई-बसों की तैनाती के संबंध में यह सूचित किया गया है कि पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत दो चरणों में कुल 13,800 ई-बसों का आवंटन किया गया है। ई-बसों की तैनाती के चरण-I के तहत 10,900 ई-बसों का आवंटन किया गया है। इन ई-बसों के लिए निविदा प्रक्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है और पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ई-बसों की तैनाती के लिए

नोडल एजेंसी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) द्वारा सफल बोलीदाताओं को दिनांक 30.12.2025 को बसों की संख्या की सहमति का पत्र (एलओसीक्यू) जारी किया गया था। इसके अलावा, ई-बसों की तैनाती के चरण-II के तहत, 2,900 ई-बसों का आवंटन किया गया है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) दिनांक 12.03.2026 तक देश में 134 पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र (आरवीएसएफ) संचालित किए जा रहे हैं। इनमें से 9 आरवीएसएफ को 2026 में चालू किया गया है।

आरवीएसएफ में अपने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं:-

क) सा.का.नि. 714 (अ), दिनांक 04.10.2021 में प्रावधान है कि यदि 'जमा प्रमाणपत्र' प्रस्तुत करने पर वाहन पंजीकृत किया जाता है, तो पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का शुल्क नहीं लिया जाएगा।

ख) सा.का.नि. 720 (अ), दिनांक 05.10.2021 में "जमा प्रमाणपत्र" प्रस्तुत करने के एवज में पंजीकृत वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में छूट (गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक और परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक) का प्रावधान है। बशर्ते कि यह छूट परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध रहेगी।

ग) सा.का.नि. 200 (अ), दिनांक 26.03.2025 में व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज I (बीएस-I) मानदंडों और पूर्ववर्ती व्यापक उत्सर्जन मानक मानदंडों के अनुसार निर्मित सभी परिवहन और गैर-परिवहन वाहनों के लिए तथा व्यापक उत्सर्जन मानक भारत स्टेज II (बीएस-II) मानदंडों के अनुसार निर्मित सभी मध्यम और भारी मालवाहक मोटर वाहनों और सभी मध्यम तथा भारी यात्री मोटर वाहनों के लिए ऐसे प्रमाण पत्र के एवज में मोटर वाहन कर में पचास प्रतिशत तक की छूट देने का प्रावधान है।
